उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

सरफेसी वाद सं0–83/2019–20

United Bank of India, Chas Bazar Branch, Bokaro

बनाम्

मेसर्स मुन्ना सिमेंट

–: आदेश :–

17.12.2020

प्राधिकृत पदाधिकारी, United Bank of India, Chas Bazar Branch, Bokaro द्वारा धारा 14 (**1 and 2**) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSESTS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 (SARFAESI) के तहत **M/s Munna Cement, Proprietor** श्री अवधेश कुमार पिता श्री ईश्वरी प्रसाद सा0–जोधाडीह मोड़, नियर स्टील सिटी पेट्रोल पम्प, चास, बोकारो के विरूद्ध बैंक में गिरवी रखे गए सम्पत्ति/भूमि पर दखल–कब्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दाखिल किया गया है।

फलस्वरूप न्यायालय में उक्त एक्ट के तहत कार्रवाई प्रारंभ किया गया एवं सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित करते हुए उभय पक्षों को अपना–अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया।

प्रथम पक्ष United Bank of India, Chas Bazar Branch, बोकारो की ओर से शाखा प्रबंधक के द्वारा उपस्थिति दर्ज की गई और अपना पक्ष रखा। उनके द्वारा कहा गया कि विपक्षी ने अपनी सम्पत्ति (Equitable Mortgage of land and building in the name of Sri Awadesh Kumar S/o Sri Ishwari Prasad bearing Deed No. 8889 dated 11.08.2010 at Jodhadih More, Mouza Bhawanipur at Solagidih Area 2.00 Dec. Khata No. 119, Plot No. 296 Thana No. 52.) को गिरवी रखते हुए बैंक से 13,50,000.00 (तेरह लाख पचास हजार) ऋृण लिया गया था जिसे अब तक उनके द्वारा नहीं चुकाया गया है। उनके द्वारा ऋृण की वापसी में अनियमितता बरती गई है, जिसके कारण ऋणकर्त्ता का खाता दिनांक–31.01.2019 को ही एन0पी0ए0 हो गया है। वर्तमान में ऋणकर्त्ता पर कुल रूपये 13,99,449/– एवं ब्याज के साथ अन्य शुल्क का बकाया है। ऋण की वापसी हेतु बैंक के द्वारा SARFAESI ACT–2002 के विभिन्न धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई के बावजुद भी विपक्षी की ओर से बकाया राशि की वापसी की दिशा में कोई पहल नहीं किया गया। अतः उन्होंने SARFAESI ACT–2002 की धारा 14 (1 and 2) के तहत विपक्षी की सम्पत्ति पर दखल–कब्जा प्राप्त करने में शांति व्यवस्था भगं नहीं हो इसके लिए उनके द्वारा पुलिस बल की माँग की गई है।

विपक्षी के द्वारा कहा गया कि उनके अधिवक्ता आज सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं हो सके है। सिर्फ उनके द्वारा बार–बार यही कहा गया कि समझौता हेतु बैंक से बातचीत चल रही है। उन्होंने अपना पक्ष रखने हेतु फरवरी तक का समय की माँग की है।

दोनो पक्षों की दलील एवं अभिलेख में संधारित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि द्वितीय पक्ष का ऋण खाता एन0पी0ए0 होने के पश्चात उनके द्वारा ऋण की राशि वापस करने के लिए अब तक कोई ठोस पहल नहीं किया गया और न ही उनके द्वारा अब तक ऐसा कोई आधार/साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, जिससे प्रतीत हो कि उनके द्वारा ऋण की राशि वापस कर दी जाएगी। किन्तु ऋणकर्त्ता के द्वारा अपना पक्ष रखने हेतु इतना समय का माँग किया जाना उनके ऋण न चुकाने की मंशा को दर्शाता है।

वर्णित परिस्थिति में प्राधिकृत पदाधिकारी, United Bank of India, Chas Bazar Branch, बोकारो SARFAESI ACT–2002 की धारा 14(1 एवं 2) निहित प्रावधानों के तहत प्रश्नगत सम्पत्ति/भूमि पर दखल–कब्जा प्राप्त करने के क्रम में शांति भंग न हो इसके लिए विधि–व्यवस्था संधारण हेतु पुलिस अधीक्षक, बोकारो एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, चास आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगें।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।